भा. कृ. अनु. प. –केन्द्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान
ICAR - Central Arid Zone Research Institute
जोधपुर / Jodhpur (राजस्थान/Rajasthan)-342 003
Website: www.cazri.res.in, Email: director.cazri@icar.gov.in
Phone No. 0291 – 2786584(Dir.)/2786485(CAO)/2785981(AO) FAX: 0291 2788706(Dir.)/2786498(PME)

मिसिल संख्या : 27-13/काजरी/स्वच्छ भारत अभियान /2022/प्रशा-V / 218. दिनांक : 11.10.2022

परिपत्र

विषय : विशेष स्वच्छता अभियान 2 अक्टूबर से 31 अक्टूबर-2022 के सम्बन्ध में।

विशेष स्वच्छता अभियान 2 अक्टूबर से 31 अक्टूबर-2022 के तहत कार्यालय में विभिन्न गतिविधियाँ चलायी जा रही है। अनुरक्षण इकाई से प्राप्त नोट एवं आवासीय परिसर का दौरा करने के दौरान सक्षम प्राधिकारी के संज्ञान में आया है कि आवासीय परिसर में सड़क के किनारे बड़ी-बड़ी झाड़ियाँ, हैज, एवं पुराने बिजली के अनुपयोगी खम्भे खड़े है, जिससे परिसर में वाहनों के आने जाने या दिखाई ना देने के कारण किसी भी समय दुर्घटना होने का अंदेशा लगा रहता है। इसी क्रम में काजरी आवासीय परिसर में इस विशेष स्वच्छता अभियान के तहत निम्नलिखित गतिविधियाँ की जानी है:

1. काजरी आवासीय परिसर में सभी सड़कों से दोनों तरफ 12- 12 फुट की परिधि तक कोई भी हैज, बाड़ी या झाड़ी नहीं होना चाहिए, अगर है तो उसे तुरंत प्रभाव से हटा दिया जाये ।
2. काजरी आवासीय परिसर में सभी सड़कों से 12 फुट परिधि में कोई भी स्थायी या अस्थायी कार/स्कूटर पार्किंग नहीं होना चाहिए, अगर है तो उसे तुरंत प्रभाव से हटा दिया जाये।
3. बिजली के पुराने खम्भे जो कि उपयोग में नहीं आ रहे है उनकों भी हटाकर समुचित स्थान पर संग्रह कर दिया जाये।
4. परिसर में कूड़ा निश्चित स्थान पर बने गड्ढे या कूड़ेदान में ही डालें।

सभी मिलकर विशेष स्वच्छता अभियान में सहयोग करे और परिसर को स्वच्छ रखें। उपरोक्त बिन्दुओं के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित करें ताकि परिसर में दुर्घटना होने से बचा जा सके। परिसर में अपने आवास के आसपास अगर कोई भी हैज, बाड़ी, झाडी, स्थायी या अस्थायी कार/स्कूटर पार्किंग इत्यादि है तो उसे 07 दिनों के अन्दर हटा दे।

यह परिपत्र सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया गया है।

(करण सिंह गहलोत)
प्रशासनिक अधिकारी

वितरण :

1. काजरी आवासीय परिसर में रहने वाले समस्त कर्मचारी को आवश्यक कार्यवाही हेतु।
2. प्रभारी, अनुरक्षण ईकाई, आवश्यक कार्यवाही एवं अनुपालना हेतु।
3. प्रभारी, फार्म अधीक्षक, आवश्यक कार्यवाही एवं अनुपालना हेतु।
4. निजी सचिव, निदेशक/मु.प्र.अ.(व.ग्रेड), काजरी , जोधपुर।